प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
2-सप्रू मार्ग, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 16 मार्च, 2016**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना 'पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन में व्यवस्थित धनराशि रू-189106 हजार के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-216-17/बजट-आयोजनागत/2015-16 दिनांक 24 नवम्बर, 2015 एवं पत्र सं0-8096-97/20/2015-16 दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना 'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रोइरीगेशन में व्यवस्थित धनराशि रू0 189106 हजार के सापेक्ष सामान्य लाभार्थियों के लिये धनराशि रू0 141211 हजार (रूपये चौदह करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार) मात्र की धनराशि अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम/कोड संख्या/मद का नाम	अनुपूरक मांग से व्यवस्थित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि			
		केन्द्रांश	राज्यांश	अतिरिक्त धनराशि (Top up)	योग
2401-फसल कृषि कर्म- आयोजनागत-119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रोइरीगेशन-(के50-रा050-के+रा0)					
27- सब्सिडी	177635	53115	35745	43189	132049
42-अन्य व्यय	8852	2772	1717	2060	6549
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	2619	2613	--	--	2613
योग	189106	58500	37462	45249	141211

(रूपये चौदह करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार मात्र)

(1) शासनादेश संख्या-3434/58-2012-150/2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या-REF-1953/58-2014-150/2012 दिनांक 04 सितम्बर, 2014 द्वारा भारत

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

सरकार की माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत लघु सीमान्त एवं सामान्य कोटि के कृषकों को देय अनुदान में राज्यांश 10% को पुनरीक्षित करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निम्नवत् किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी-

क्र.सं.	लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश
1	लघु सीमान्त	50%	40%	10%
2	सामान्य	40%	35%	25%

(2) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक संचालित नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन को वर्ष 2014-15 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबुल एग्रीकल्चर के उपघटक-ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट में संविलीन कर लागू किया गया, जिसे परिवर्तित शेयरिंग पैटर्न (60:40) पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में सम्परिवर्तित 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के 'पर ड्राप मोर क्राप' के रूप में लागू किया गया है जिसमें माइक्रो इरीगेशन के कार्यक्रम सम्मिलित है। परिवर्तित शेयरिंग पैटर्न के अनुसार लाभार्थी कृषकों को डी.पी.ए.पी. क्षेत्र एवं नान डी.पी.ए.पी. क्षेत्र में वर्गीकृत करते हुए निम्नवत् केन्द्रांश के अनुदान अंश की व्यवस्था निर्धारित की गई है-

क्र.सं.	कार्यक्रम क्षेत्र	लघु सीमान्त कृषक	लघु एवं सीमान्त कोटि के अतिरिक्त अन्य कृषक
1	डी.पी.ए.पी. क्षेत्र	36%	27%
2	नान डी.पी.ए.पी. क्षेत्र	27%	21%

(3) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में माइक्रो इरीगेशन कार्यक्रमों को 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' (PMKSY) के उपघटक 'पर ड्राप मोर क्राप' में सम्परिवर्तित किया गया है जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-3434/58-2012-150/2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 एवं शासनादेश संख्या-REF-1953/58-2014-150/2012 दिनांक 04 सितम्बर, 2014 द्वारा विहित राज्यांश अनुदान व्यवस्था को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक के लिए भारत सरकार द्वारा संशोधित फण्डिंग पैटर्न के दृष्टिगत केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभार्थी अंश निम्नवत् संशोधित कर लागू करने हेतु निर्धारित किया जाता है:-

कार्यक्रम	लाभार्थीश्रेणी	शासनादेश दिनांक 04-09-2014 में व्यवस्था			संशोधित अंश				
		केन्द्राँश	राज्याँश	लाभार्थी अंश	केन्द्राँश	राज्याँश	अतिरिक्त राज्याँश (Top up)	कुल राज्याँश	लाभार्थी अंश
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
डी.पी.ए.पी.	लघु सीमान्त कृषक	50(%)	40(%)	10(%)	36(%)	24(%)	16(%)	40(%)	24(%)
	सामान्य कृषक	35(%)	35(%)	30(%)	27(%)	18(%)	17(%)	35(%)	38(%)
गैर डी.पी.ए.पी. /	लघु सीमान्त कृषक	35(%)	40(%)	25(%)	27(%)	18(%)	22(%)	40(%)	33(%)

http://shasanadesh.upnic.in

डी.डी.पी.	सामान्य कृषक	25(%)	35(%)	40(%)	21(%)	14(%)	21(%)	35(%)	44(%)

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत् प्रतिशत् भारत सरकार का अंश निहित होगा। तद्नुसार संशोधित केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा तथा लाभार्थी अंश का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं उक्तानुसार किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष अल्प अवधि के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा योजना के फण्डिग पैटर्न में किये गये संशोधन के आलोक में राज्यांश अनुदान विषयक निर्गत पूर्व के शासनादेश दिनांक 4.9.2014 में संशोधन पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन तथा वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 9.11.215 की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत परिवर्तित फण्डिग पैटर्न पर मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का 50% प्रथम किश्त के रुप में आहरित किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का 75 % व्यय होने के उपरान्त ही 50% धनराशि द्वितीय किश्त के रुप में आहरित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का आहरण करने के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की निम्नवत प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1) वित्तीय वर्ष 2015-16 में आफ लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें लाभार्थी कृषक के रूप में जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 से आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल तैयार कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे और प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपयुक्तता के अनुसार सूचीबद्ध करते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मो की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

(4) लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। 'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रोइरीगेशन योजना जिसमें लाभार्थीकी पात्रता, संख्या तथा दी जाने वाली सब्सिडी के सम्बन्ध में गाइड लाइन में व्यवस्था के अनुसार दी जा रही है तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो ऐसी उपयोजनाओं में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र, 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(12) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 ई-1/58/दस-2016, दिनांक 29 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

संख्या-19/2016-836(1)/58-2016 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

3- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि को फ्रीज करने हेतु औपचारिक आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि उद्यान विभाग, वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

.....5/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in